UPMH010026352026

न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या–01, महराजगंज।
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–751/2026

1– अखिलेश उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र गमई
साकिन– पिपरा कल्याण, थाना– सिन्दुरिया, जनपद– महराजगंज।

–––––––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० सरकार

––––––––विपक्षी

मु0 अ 0 सं0–108/2026
धारा– 69,352,351(3)बी०एन०एस०
थाना– सिन्दुरिया, जनपद– महराजगंज

20.06.2026

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **अखिलेश** द्वारा मु0 अ 0 सं0–108/2026, धारा–69,352,351(3)बी०एन०एस०,थाना–सिन्दुरिया, जनपद महराजगंज में अग्रिम जमानत हेतु संस्थित किया गया है।

2– अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादिनी के पति की मृत्यु हो चुकी है। वादिनी के पास कोई पुरुष औलाद नहीं है। वादिनी के पति स्व० रमेश के मौसी के लड़के अखिलेश पुत्र गमई रमेश की मृत्यु के बाद से अक्सर हम वादिनी के घर आने जाने लगा और कहा कि अभी उसकी शादी नहीं हुई है हम आपसे शादी कर लेंगे, आप परेशान मत रहिये। शादी का बचन देकर अखिलेश वादिनी के साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाया। शादी के लिए दबाव बनाने पर हिल्ला हवाली करता था। दिनाँक 22.03.2026 को समय करीब 10.00 बजे रात्रि में भोजन करने के बाद अखिलेश मेरे कमरे में आया और वादिनी केसाथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया। वादिनी ने कहा कि इस तरह हम लोंगों की काफी बेईज़ती हो रही है और आप हमसे शादी कर लीजिए। अखिलेश शादी करने के बचन से मुकर गया और माँ बहन की गाली गुप्ता देते हुए कहा कि इस घटना की कहीं शिकायत करोगी तो तुम्हारी हत्या कर देंगे।

4– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है तथा उक्त मुकदमें में मात्र रंजिश वश फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई शादी का झांसा नहीं दिया है और न ही वादिनी मुकदमा के साथ दुष्कर्म ही किया है। पीड़िता की शादी कई वर्ष पहले हो चुकी है, तथा पीड़िता के पति की मृत्यु वर्ष 2018 में हो चुकी है वह विधवा महिला है तथा उसके दो बच्चियां है। जिसमें बड़ी बच्ची की उम्र 15 वर्ष व छोटी बच्ची की उम्र 13 वर्ष जो तथाकथित घटना के समय उसी घर में निवास कर रही थी। पीड़िता की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। इसलिए शादी का झांसा प्रथम दृष्टया अविश्वसनीय है।

पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथन किया है कि शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया है जबकि पीड़िता द्वारा इस सम्बन्ध में यह नही बताया गया है कि उसे शादी का झांसा कब दिया गया था और शारीरिक सम्बन्ध कब से बनाया जा रहा है। पीड़िता द्वारा घटना स्थल स्वयं के घर में दिखाया गया है तथा पीड़िता के साथ उसकी दो पुत्रियां भी रहती है जो पूर्णतः गलत है। यदि प्रार्थी द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया तो इसकी शिकायत पीड़िता द्वारा कही दर्ज क्यो नही करायी गई। पीड़िता पहले से शादी शुदा है एवं विधवा महिला है तथा पीड़िता 12 तक पढ़ी लिखी एवं जागरूक है। इसलिए उन्हे न तो शादी का झांसा दिया जा सकता है और न ही पीड़िता का दूसरा विवाह सम्भव है। प्रार्थी द्वारा पीड़िता को न ही किसी प्रवन्चना पूर्ण आशय से कोई गलत कार्य किया गया है और न ही कोई आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है। वादिनी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज कराया गया है। प्रार्थी और पीड़िता रिश्तेदार है एवं रिश्तेदारी के नाते प्रार्थी के पिता पीड़िता के पिता को नगद 80,000/-रू० दिये थे प्रार्थी द्वारा उक्त पैसे की मांग करने पर पीड़िता व उसके पिता द्वारा पैसा वापस न कर पाने के वजह से प्रार्थी के उपर गलत आरोप लगाया गया है एवं प्रार्थी के पिता को भी उक्त मुकदमा में एक सोची समझी साजिश के तहत संलिप्त कर दिया गया है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी के पिता के उपर कोई आरोप अथवा जिक्र नही किया गया है। जिससे भी उपरोक्त मामला सन्देहास्पद प्रतीत होता है। पीड़िता का 183 बी०एन०एस०एस० के बयान में कहा गया है कि पीड़िता के पति रमेश की मृत्यु वर्ष 2018 में हुई जिसके पश्चात अखिलेश उसके घर आते जाते थे और उसकी अखिलेश से लगभग साल भर से बात चीत होती है अखिलेश उसके साथ कई बार छेड़खानी किया और उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया। पीड़िता ने प्रार्थी के उपर झूठा आरोप लगाया गया है। 22-03-2026 को यह स्पष्ट रूप से कहा है कि "मैने अपनी मर्जी से शारीरिक सम्बन्ध बनाया" और शादी के लिए पूछा। पीड़िता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट, मेडिकल जांच व 180 बी०एन०एस०एस० व 183 बी०एन०एस०एस० तीनों में काफी भिन्नता व विरोधाभास है। पीड़िता के साथ बलात्कार जैसी घटना हुई होती तो पीड़िता अपना फोरेंसिक जांच जरूर कराती मगर पीड़िता द्वारा जानबूझकर फोरेन्सिक जांच नही कराया गया। तथाकथित घटना सोच समझकर पीड़िता कचहरी में आकर विधिक राय लेकर धारा- 173(4) बी०एन०एस०एस० के तहत प्रार्थी को झूठे मुकदमें में फंसाने के लिए झूठा मुकदमा कराया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी का माननीय न्यायालय में यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अलावा प्रार्थी का कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में न तो दाखिल है न तो लंम्बित है और न ही निस्तारित है। प्रार्थी माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों व निर्देशों का अनुपालन कर अन्वेषण व न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करता रहेगा। प्रार्थी को आशंका है कि थाना सिन्दुरिया की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर प्रार्थी के दैहिक स्वतन्त्रा को बाधित कर सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा सकता है। ऐसी दशा में प्रार्थी की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है। अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की कृपा करें।

5- अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया है और प्रार्थना की गयी है कि आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

6- आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना एवं उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का

अवलोकन किया।

7– अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नवीनतम विधि व्यवस्था **सुमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** निर्णय दिनांकित 09.02.2026 में यह दिशा निर्देश दिया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को अभियुक्त पर आरोपित अपराध एवं उसकी गंभीरता तथा अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता के संदर्भ में सावधानीपूर्वक मूल्यांकन कर लेना चाहिए।

8– माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था **सुशीला अग्रवाल बनाम दिल्ली राज्य व अन्य (2020)5 (एस०एस०सी०) (1) संवैधानिक पीठ** में यह मत व्यक्त किया है कि, अग्रिम जमानत एक आपवादित अधिकार है जिसका अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग करना चाहिये और यह कोई निर्वाद अधिकार नहीं है।

9– माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी विधि व्यवस्था **डाक्टर नरेश कुमार मंगला बनाम श्रीमती अनीता अग्रवाल व अन्य ए०आई०आर० 2021 (एस०सी०) 277 (तीन जज खण्डपीठ)** में यह सुस्पष्ट मत व्यक्त किया है किए अग्रिम जमानत केवल उन आपवादिक परिस्थितियों में स्वीकार की जा सकती है, जहाँ न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह समाधान है कि, आवेदक को कथित अपराध में झूठा फॅसाया गया है और वह अपनी स्वतंत्रता का दुरूपयोग नहीं करेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी इस विधि व्यवस्था में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र व नियमित जमानत प्रार्थना पत्र के अन्तर को स्पष्ट करते हुए यह भी मत व्यक्त किया है कि, यदि आवेदक/अभियुक्त पर लगाये गये आरोप न्याय के उददेश्य को अग्रसारित करने वाले दर्शित न होकर आवेदक/अभियुक्त को अपमानित व आहत करने के उददेश्य से लगाया जाना दर्शित होता होए तो उसे अग्रिम जमानत दी जा सकती है।

10– **सुमिथा प्रदीप बनाम अरूण कुमार सी० के० एवं अन्य क्रिमिनल अपील संख्या– 1034/2022** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–

(i) In many anticipatory bail matters, we have noticed one common argument being canvassed that no custodial interrogation is required and, therefore, anticipatory bail may be granted. "There appears to be a serious misconception of law that if no case for custodial interrogation is made out by the prosecution, then that alone would be a good ground to grant anticipatory bail. Custodial interrogation can be one of the relevant aspects to be considered along with other grounds while deciding an application seeking anticipatory bail. There may be many cases in which the custodial interrogation of the accused may not be required, but that does not mean that the prima facie case against the accused should be ignored or overlooked and he should be granted anticipatory bail.

(ii) The first and foremost thing that the court hearing an anticipatory bail application should consider is the prima facie case put up against the accused. Thereafter, the nature of the offence should be looked into along with the severity of the punishement. Custodial interrogation can be one of the grounds to decline custodial interrogation. However, even if custodial interrogation is not required or necessitated, by itself, cannot be a ground to grant anticipatory bail.

11– अग्रिम जमानत देने के संबंध में न्यायालय को अन्य बातों के अतिरिक्त अभियोग की प्रकृति और गंभीरता व इस सम्भाव्यता पर ध्यान देना चाहिए कि, आवेदक द्वारा अभियुक्त को ऐसे गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है।

12– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली के अवलोकन से सर्वप्रथम यहां यह स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त ने वादिनी को शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया तथा शादी करने से इनकार कर दिया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि पीड़िता ने अपने बयान धारा 180 बी०एन०एस०एस० में कथन किया है कि है कि वह कक्षा 12 तक दिग्विजय नाथ इण्टर कालेज चौक से पढी है। उसके पति के देहान्त के बाद उसके हस्वैण्ड के मौसी के लड़के अखिलेश पुत्र गमई निवासी पिपराकल्याण थाना सिन्दुरिया जनपद महराजगंज कहे कि वह उससे शादी करेगा। और एक साल से उसके साथ शारीरिक सम्बनध बनाये। दिनांक 22 मार्च 2026 को घर आये और उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये। जब हल्ला हुआ तो बोले शादी करेंगे और अब शादी करने से मना कर रहे है। हल्ला करने पर गाली गलौज किये और मारने की धमकी दिये तथा पीड़िता ने अपने बयान धारा अन्तर्गत धारा 183 बी०एन०एस०एस० में उक्त बातों को दोहराते हुए अतिरिक्त कथन किया है कि उसकी अखिलेश के साथ लगभग साल भर से बात होती है। वे दोनो मोबाईल पर बात करते थे। अखिलेश ने कई बार उसके साथ छेडखानी किया और शारीरिक संबंध बनाया। उसकी एक बच्ची भी है। दिनांक 22.03.2026 को जब अखिलेश से शादी करने को पूछा तो अखिलेश ने शादी करने से मना कर दिया और गाली दिया और जान से मारने की धमकी दिया। यदि ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो इस प्रकार के अपराधों को बढ़ावा मिलेगा और देश की जनता और अधिक पीडित होगी। बी०एन०एस० की धारा 69 यह प्रावधानित करती है कि "जो कोई, प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर, उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना, उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।" भारतीय न्याय संहिता में प्रावधानित उक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे कि यह दर्शित होता हो कि आवेदक/अभियुक्त को अपमानित करने के उद्देश्य से यह अभियोग लगाया गया हो। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना मेरी राय में इस तरह के गंभीर अपराधों के मामले में आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने के आधार पर्याप्त प्रतीत नहीं होते हैं। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

13– आवेदक/अभियुक्त **अखिलेश** की ओर से मु0अ0सं0–108/2026 धारा–69,352,351(3) बी०एन०एस० थाना– सिन्दुरिया, जनपद–महराजगंज के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

20.06.2026

(शैलेन्द्र वर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या–1, महराजगंज
आई0डी0 संख्या–यू0पी0 6426

Digitally signed by SHAILENDRA VERMA
Date: 2026.06.20 16:48:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court